XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक विविध 734-II/15 जिला-~~श्योपुर~~ मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-5-15	प्रकरण का अवलोकन किया तथा आवेदक अभि. द्वारा प्रस्तुत भूल सुधार आवेदन का अवलोकन किया । आवेदक अभि. द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8-12-14 की पहली लाइन में नायब-तहसीलदार का प्र.क.25/अ-6/12-13 के स्थान पर 23/12-13/अ-6 टाइप हो गया है । उसे सुधारा जाय । आवेदक अभि. द्वारा प्रस्तुत भूल सुधार का आवेदन स्वीकार करते हुये नायब-तसहीलदार का प्र.क.23/12-13/अ-6 के स्थान पर 25/अ-6/12-13 पढा जाय । यह आदेश मूल आदेश का अंग माना जावे । सदस्य	Noted 11.5.15

FIVE RUPEES FIVE RUPEES

विविध 734-II-15

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 विविध

श्री एम.पी. भटनागर एड. द्वारा आज दि. 7-4-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश पुत्र बैजनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम - मिरघान तहसील व जिला मुरैना -- आवेदक

बनाम

1- देवदत्त पुत्र बैजनाथ मिश्रा

2- बैजनाथ पुत्र शिवनारायण मिश्रा समस्त निवासीगण ग्राम मिरघान तहसील व जिला मुरैना म.प्र.

--- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. एवम धारा 32 म प्र भू राजस्व संहिता विरुद्ध न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरणक्रमांक 68/II/2014 के आदेश दिनांक 8.12.14 के आदेश में टाईपिंग त्रुटि से दुखित होकर।

- -

Filed by
M.P. Bhatnagar Adv

352
6/4/15

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

§1§ यह कि, प्रार्थी पूर्व प्रकरण में रेस्पोडेन्ट क्रमांक -1 था, जिसमें बहस उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8.12.2014 को आदेश पारित किया गया जिसमें श्रीमान नायब तहसीलदार मुरैना के प्रकरण क्रमांक 25/अ-6/12-13 को अपने आदेश में 23/12-13/अ-6 कर दिया गया है, जिसके कारण विचारण न्यायालय द्वारा आगामी कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस कारण यह आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।